45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-967-दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-02-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक160/2004-05/अपील

.....

भगवान सिंह पुत्र श्री रिंगलाल कुशवाह
निवासी-ग्राम सवां तहसील गोहद,
जिला-भिण्ड(म0प्र0)

----आवेदक

विरूद्ध

1- रामरतन पुत्र श्री रामदयाल
2- गब्बर पुत्र श्री रामदयाल
निवासीगण-ग्राम सवां तहसील गोहद,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
3- शिवसिंह पुत्र श्री फुन्दी कोरी
4- रामलखन पुत्र श्री सरनाम
5- छविराम पुत्र श्री सरनाम
6- धनीराम पुत्र श्री सीताराम
7- रामलखन पुत्र श्री सिरनाम
निवासीगण-ग्राम सवां तहसील गोहद
जिला-भिण्ड(म0प्र0)

----अनावेदकगण

.....

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-02-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर भिण्ड के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि पूर्व में उन्हें शासन द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जिस शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान किया गया वह उपजाऊ न होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। अतः सर्वे क्रमांक 2338 रकबा 0.80 हैक्टेयर के स्थान पर सर्वे क्र0 1831 रकबा 0.080 है0, सर्वे क्र0 3066/1 रकबा 0.65 के स्थान पर सर्वे क्र0 1683/1 रकबा 0.65 है0, सर्वे क्र0 3070/1 रकबा 0.60 है0 के स्थान सर्वे क्र0 1640 रकबा 0.22 है0, सर्वे क्र0 1641 रकबा 0.35 है0, सर्वे क्र0 3066/3 रकबा 0.65 के स्थान पर सर्वे क्र0 135 रकबा 0.34 है0, सर्वे क्र0 386 रकबा 0.20 है0, सर्वे क्र0 3070/2 रकबा 0.60 के स्थान पर सर्वे क्र0 435 रकबा

0.31 है0 तथा सर्वे क्र0 470 रकबा 0.36 है0 भूमि से विनिमय किया जावे। जिस पर कलेक्टर भिण्ड ने अपने प्रकरण क्रमांक 8/2003-04/अ-59 में पारित आदेद्गा दिनांक 11.12.03 द्वारा रा0पु0 परिपत्र खण्ड 4 क्र0 3 की कंडिका 20 के अन्तर्गत विनिमय स्वीकार कर पूर्व वंटित भूमि संहिता की धारा 237(1) के अन्तर्गत चरनोई के लिये सुरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/2004-05/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर अपील सारहीन होने से निरस्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेद्गा यथावत रखा । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर भिण्ड के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राज्य शासन की योजनान्तर्गत भूमिहीन अनुसूचित जाहित के हितग्राहियों को जो पूर्व में चरनोई भूमि से काबिल काश्त घोषित कर जिस

भूमि के पट्टे दान किये गये थे वह उपयोगी न होने से विनिमय किये जाने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर भिण्ड द्वारा तहसीलदार गोहद से उक्त संबंध में प्रतिवेदन चाहा । तहसीलदार गोहद द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार इश्तहार जारी की गई तथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर विवादित भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर भिण्ड को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 237 के तहत कार्यावाही करते हुये अनावेदकगण को वंटित भूमि से विवादित भूमि का विनिमय स्वीकार किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर भिण्ड ने राज्य शासन की योजनान्तर्गत भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र हितग्राहियों जो पूर्व में वंटित की गई भूमि उपजाऊ न होने के कारण विनिमय किया है जो कि उचित प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में ही कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि विनिमय की गई शासकीय चरनोई भूमि का सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा रहा था, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह तथ्य सामने आया है कि बिना किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के बिना कोई अर्थदण्ड आदि का भुगतान किये बिना राज्य शासन की मंशा के विपरीत विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये हुये है और अतिक्रामक

का शासन की भूमि पर कोई स्वत्व नहीं बनता । जहॉ तक कलेक्टर भिण्ड द्वारा निकाले गये निष्कर्ष का प्रश्न है, कलेक्टर भिण्ड ने किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहूॅचाने के लिये पूर्व आवंटित भूमि से विवादित भूमि का विनिमय नहीं किया, बल्कि ग्राम पंचायत सर्वा से पूर्व में वंटित भूमि के बदले विवादित भूमि का अनावेदकगण द्वारा विनिमय किये जाने पर अनापत्ति किये जाने के उपरांत ही राज्य शासन की मंशा के अनुरूप भूमिहीन अनुसूचित के हितग्राहियों को पूर्व आंवटित भूमि से शासकीय चरनोई भूमि को काबिल काश्त घोषित कर विनियम किया तथा पूर्व में काबिल कांश्त की गई चरनोई भूमि को पुनः चरनोई भूमि में परिवर्तित कर दिया गया । इस प्रकार चरनोई भूमि को कोई रकबा कम नहीं हुआ और न ही विनिमय की गई भूमि सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के ठहराव में इस संबंध में अनुसंशा करते समय शासन के ध्यान में यह तथ्य अवश्य लाया जाता । ऐसी स्थिति में कलेक्टर भिण्ड द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती और इसी कारण अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2007 में पूर्ण विवेचना कर, कलेक्टर भिण्ड के आदेश को स्थिर रखा है । चूॅकि आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है और अतिक्रामक का शासन की भूमि पर कोई स्वत्व नहीं बनता ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2007 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्प्रदेश,
ग्वालियर